विदेशियों के पोलैंड में रहने की क़ानूनियत पर नियंत्रण करने के नियमों और प्रक्रिया संबंधी अनुदेश

- उठाये हुए कार्यों का क़ानूनी आधार: 12 दिसंबर 2013 दिनांकित विदेशियों विषयक अधिनियम।
- उठाए हुए कार्यों का उद्देश्य: विदेशियों के पोलैंड में प्रवेश करने और यहाँ रहने की शर्तों संबंधी नियम मानने पर नियंत्रण।

पोलैंड में रहते हुए विदेशी के पास जायज़ यात्रा-दस्तावेज़ और पोलैंड में रहने के लिए हक़दार बनाने वाली दस्तावेज़ें - अगर ये अनिवार्य हों - होनी पड़ती हैं।

1. कार्यकर्ता अपना सरकारी पहचान-कार्ड या पहचान-चिह्न दिखा कर यह माँग सकता है कि:
   1) यात्रा-दस्तावेज़ और पोलैंड में रहने के लिए हक़दार बनाने वाली दस्तावेज़ें दिखाई जाएँ;
   2) निम्नलिखित ख़र्च उठाने के लिए काफ़ी पैसा दिखाया जाए:
      क) पोलैंड में रहते हुए विदेशी के गुज़ारे का,
      ख) अपने वतन या रहने के राष्ट्र में विदेशी की वापसी-यात्रा का,
      ग) पोलैंड से होकर विदेशी के किसी ऐसे राष्ट्र में, जो प्रवेश की इजाज़त देगा, जाने का;
   3) पैसा मिलने की संभावना प्रमाणित करने वाली दस्तावेज़ दिखाई जाए;
   4) काम करने, करवाने या अपना कारोबार करने के लिए हक़दार बनाने वाली दस्तावेज़ें दिखाई जाएँ;
   5) पोलैंड में रहने का उद्देश्य और शर्तों प्रमाणित करने वाली दस्तावेज़ें दिखाई जाएँ;

2. अगर आप का नियंत्रण हो जाए, तो कार्यकर्ता के माँगने पर आप को ऊपरलिखित दस्तावेज़ें और पैसा या पैसा मिलने की संभावना प्रमाणित करने वाली दस्तावेज़ - जब यह अनिवार्य है - दिखानी है।

3. अगर आप के पास कोई पहचान-पत्र नहीं है, तो आप का पहचान प्रमाणित करवाने के लिए आप के उँगलियों के निशान लिये जाएँगे।
   उँगलियों के निशान शेंगेन वीज़ा की वास्तविकता या शेंगेन वीज़ा के धारक का पहचान जाँचने के लिए लिये जा सकते हैं।
   विदेशी से लिये हुए उँगलियों के निशानों की जाँच वीज़ा इन्फ़ॉर्मेशन सिस्टम में की जाती है।

4. अगर नियंत्रण के दौरान यह मालूम हो जाएगा कि जो दस्तावेज़ आप दिखाते हैं, उस को निकालने वाले प्राधिकारी को पहले ही वापस देना चाहिए था, तो यह दस्तावेज़ आप से लेकर रखी जाएगी। फिर आप को दस्तावेज़ लेने का मुफ़्त सर्टीफ़िकट दिया जाएगा और यह दस्तावेज़ निकालने वाले प्राधिकारी को वापस भेजी जाएगी।

5. अगर नियंत्रण कर के यह मालूम हो जाएगा कि आप का पोलैंड में रहना ग़ैर-क़ानूनी है तो विदेशी के पोलैंड में रहने की क़ानूनियत पर नियंत्रण करने का प्रोटोकोल लिखाया जाएगा।

6. मूल प्रोटोकोल आप को इस पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। हस्ताक्षर कर के आप को प्रोटोकोल की कॉपी मिलेगी।
अगर आप प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर करने से इनकार करें, प्रोटोकोल लिखाने वाला कार्यकर्ता इस पर अपने हस्ताक्षर कर के प्रोटोकोल की कॉपी आप को देगा।

7. अगर यह मालूम हो जाएगा कि:
1) आप हक़दार न होते हुए फिर भी पोलैंड में रहते हैं,
2) अधिकृत प्राधिकारी के माँगने पर आप पोलैंड में रहने के लिए हक़दार बनाने वाली दस्तावेज़ें नहीं दिखाते हैं - अगर ये अनिवार्य हों,
3) अधिकृत प्राधिकारी के माँगने पर आप अनिवार्य पैसा या पैसा मिलने की संभावना प्रमाणित करने वाली दस्तावेज़ नहीं दिखाते हैं
4) आप पोलैंड में रहने का कार्ड, विदेशी की पोलिश यात्रा-दस्तावेज़, विदेशी का पोलिश पहचान-पत्र या "टॉलरैटेड स्टे का पर्मिट" बदलाने या वापस देने से बचके रहते हैं,
5) पोलैंड में रहने का कार्ड, विदेशी की पोलिश यात्रा-दस्तावेज़, विदेशी का पोलिश पहचान-पत्र खो कर आप ने 3 दिन के अंदर अंदर आप ने उस की सूचना नहीं की,
6) जो आप को वापस जाने के लिए बाध्य करने वाले निर्णय या अपनी मर्ज़ी से वापस जाने का दिनांक बढ़ाने वाले निर्णय में दिनांक नियत किया गया, उस दिनांक तक आप ने पोलैंड छोड़ने का कर्तव्य पूरा नहीं किया,
7) जिस प्राधिकारी का नाम और स्थान अपनी मर्ज़ी से वापस जाने का दिनांक बढ़ाने वाले निर्णय में नियत किया हुआ है, उस में नियमित तौर पर हाज़िर होने का कर्तव्य आप पूरा नहीं करते हैं,
8) जो अपनी मर्ज़ी से वापस जाने का दिनांक बढ़ाने वाले निर्णय में आप का रहने का स्थान नियत किया हुआ है, आप ने वह स्थान छोड़ दिया है,
9) आप "लोकल बॉर्डर ट्रफ़िक पर्मिट" लेकर पोलैंड में प्रवेश कर के:
क) आप को "लोकल बॉर्डर ट्रफ़िक पर्मिट" लेकर जिस सीमांत के अंदर अंदर घूमने-फिरने की इजाज़त है, आप उस के बाहर ही रहते हैं, या
ख) "लोकल बॉर्डर ट्रफ़िक पर्मिट" में नियत किये हुए दिनांक के बाद आप ने पोलैंड नहीं छोड़ दिया है,

- तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

जुर्माना लगाने वाले कार्यकर्ता को जुर्माना अदा करते ही टिकट दिया जा सकता है। तभी उस का मूल्य 500,00 ज़्लोति से ज़्यादा नहीं होगा।
आप को टिकट लेने से इनकार करने का अधिकार है। तभी आप को जुर्माने की सज़ा देने का प्रस्ताव अदालत में भेजा जाएगा फिर आप पर 5000,00 ज़्लोति तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
ऊपरलिखित दुर्व्यवहारों के अलावा कुछ और दुर्व्यवहार करने के लिए कार्यकर्ता आप पर जुर्माना लगा सकता है।

8. जब आप के पोलैंड में रहने की क़ानूनियत पर नियंत्रण करने का प्रोटोकोल लिखवाया जाएगा, तो यह आप को पकड़ने और वापस जाने के लिए बाध्य करने की कार्यवाही शुरू करवाने का आधार हो सकता है।